बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

ekfld izfrosnu

अक्टूबर 2018

fcgkj jkT; vkink izca/ku izkf/kdj.k

¼vkink izca/ku foHkkx] fcgkj ljdkj½

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

fo"k; lwph   i`t u-

(A) vfHk;rkvk@okLrqfonk@lsondk@jktfefL=;ka dk HkdEijks/kh fuekZ.k rduhd ls lacf/kr izf'k{k.k   1&3

(B) ck<+ iwoZ.k ftyk esa uo inLFkkfir i`[kaM fodkl inkf/kdkjh@vapy vf/kdkfj;ksa dk vkink izca/ku esa izf'k{k.k   4

(C) eq[;ea=h fo|ky; lqj{kk dk;ZØe   5&9

(D) ukfodksa ,oa uko ekfydksa izf'k{k.k   10

(E) ukSdkvksa ds fuca/ku gsrq fuca/kdksa@losZ{kdksa dk izf'k{k.k   11

(F) vkink tksf[ke U;wuhdj.k ,oa izca/ku fo"k; ij izpk;Z izfrfuf/k;ksa dk izf'k{k.k dk;ZØe   12&13

(G) **"Management of Animal in Emergencies"** विषय पर बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पशु चिकित्सकों का चार दिवसीय प्रशिक्षण   **14–15**

(H) uko ekfydksa] ukfodksa ,oa xksrk[kksjksa dk mUeq[khdj.k dk;Z'kkyk   16

(I) fcgkj HkwdEi ekih rU= dk izxfr fooj.k   16

(J) **Mass Messaging/Whatsapp Advisory**   17

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

ikt fefL=:k d; if'k{kdk dk fiÝ'ki

ukyUnk ftyk vfHk;rkvk dk if'k{k.k

e'ku Vuj vfHk;rkvk dk fjÝ'kj

ekfld ifronu ¼vDVcj] 2018½

(A) vfHk;rkvk@okLrfonk@londk@jktfefL=;k dk HkdEijk/kh fuek.k rduhd l lcf/kr if'k{k.k

¼1½ 03 अक्टूबर 2018 को राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षकों का एक दिवसीय रिफ्रे ार कार्यक्रम सम्पादित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 36 लोंगों ने भाग लिया।

¼2½ सितम्बर 2018 तक d|y 1597 jktfefL=;ksa को भूकम्परोधी भवनों के विषय पर प्रशिक्षित किया गया।

अक्टूबर 2018 में, दिनांक 05 से 11 अक्टूबर 2018 को अरवल जिला के पाँच प्रखण्डों में कुल 144 राजमिस्त्रियों एवं जहनाबाद जिला के सात प्रखण्डों में कुल 195 राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवनों के विशय पर प्रशिक्षित किया गया।

दिनांक 23 से 29 अक्टूबर 2018 को नवादा जिला के चौदह प्रखण्डों में कुल 391 राजमिस्त्रियों राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवनों के विषय पर प्रशिक्षित किया गया।

¼3½ जनवरी 2017 से सितम्बर 2018 तक कुल मिलाकर 1083 अभियंताओं को प्रशिक्षित किया गया था।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

अक्टूबर माह में दिनांक 08 से 11 अक्टूबर 2018 को वैशाली जिला से उपस्थित कुल 36 असैनिक अभियंताओं का भूकम्परोधी भवनों के विषय पर प्रशिक्षण किया गया।

इस प्रकार अक्टूबर 2018 तक कुल 1597+144+195+391 ¾ 2327 jkt fefL=;k को एवं 1083 + 36 = 1119 vlfud vfHk;rkvk को प्रशिक्षित किया गया है।

ikt fefL=:k dk HkdEiik/kh Hkouk d fo"k: ii if'k{k.k

vDVcj 2018 e lpkfyr dk;Øek dk fooj.k

One day Mason Trainer Refresher Course at BSDMA

Sr.	Name of Program	Training Date	No. of mason trained
1	Fatuha	03rd October	36

7 days block level mason training at Arwal District

2.	Name of Block	Training Date	No. of mason trained
1.	Arwal	05-11 October 2018	29
2.	Kaler		30
3.	Karpi		28
4.	Sonebhadra Banshi Suryapur		28
5.	Kurtha		29
		Total No. of Mason Trained	**144**

7 days block level mason training at Jehanabad District

Sr.	Name of Block	Training Date	No. of mason trained
1.	Makhdumpur	05-11 October 2018	26
2.	Jehanabad		30
3.	Kako		28
4.	Modanganj		28
5.	Ghosi		26
6.	RatniFaridpur		28
7.	Hulasganj		29

Total No. of Mason Trained	**195**

7 days block level mason training at Nawada District

Sr.	Name of Block	Training Date	No. of mason trained
1	Meskaur	23-29 October 2018	29
2	Sirdala		25
3	Rajauli		29
4	Akbarpur		24
5	Hisua		27
6	Narhat		29
7	Nardiganj		28
8	Nawada		28
9	Roh		29
10	Kawakole		29
11	Govindpur		27
12	Warisaliganj		29
13	Kashichak		30
14	Pakripariwan		28
Total No. of Mason Trained			**391**

4 days Engineers Training_Distt:- Vaishali

1.	4 days Engineers Training district : Vaishali	8-11 October 2018	BSDMA, Patna	No. of Engineers trained: **36**

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(B) ck<+ izo.k ftyksa esa uo inLFkkfir iz[k.M fodkl inkf/kdkjh@vapy vf/kdkfj;ksa dk vkinkk izca/ku esa izf'k{k.k %&

माननीय मुख्यमंत्रीजी के निदेश के आलोक में बाढ़ प्रवण जिलों में नव पदस्थापित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारियों जिन्हें आपदा प्रबंधन का अनुभव नहीं है, का आपदा प्रबंधन के विषय में उन्मुखीकरण किया जा रहा है। करीब 336 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारियों का आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण किया जाना है।

इस प्रकार अक्टूबर माह तक कुल 270 प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचल अधिकारियों का प्रशिक्षण किया गया है, जिसमे केवल अक्टूबर माह में 36 प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचल अधिकारियों का प्रशिक्षण किया गया।

उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बिपार्ड के सहयोग से दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत नौवे एवं दसवें चरण (दो चरणों) का प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्टूबर माह 2018 में आयोजित किया गया है। अक्टूबर माह में 36 प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचल अधिकारियों का प्रशिक्षण किया गया है इस प्रकार अब तक 234+36=270 (कुल) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। अक्टूबर माह 2018 का विवरण निम्न है:–

fnukad	izf'k{k.kkfFkZ;ksa dh la[;k		
	iz[k.M fodkl inkf/kdkjh	vapy vf/kdkjh	dqy
03–04 अक्टूबर, 2018	11	12	23
11–12 अक्टूबर, 2018	08	05	13
dqy	19	17	36

C) e[;e=h fo|ky; lqj{kk dk;Øe

1- jkT; ,oa ftyk Lrjh; çf'k{k.k dk;Øe

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय गतिविधियों यथा प्रत्येक जिलों के मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (29 जनवरी से 19 अप्रैल) एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों के एक दिवसीय उन्मुखीकरण (14 मई से 19 मई) के पश्चात बिहार के जिलों में जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों का 3 दिवसीय कार्यक्रम दिनांक 21 मई से प्रारम्भ हुआ। सभी 38 जिलों में जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हो गया है।

अभी तक राज्य स्तर पर 605 मास्टर प्रशिक्षकों को तैयार किया गया है एवं जिला स्तर पर 4231 मास्टर प्रशिक्षकों की सूची प्राप्त हो चुकी है। जिलों से अद्यतन सूची प्राप्त की जा रही है।

2- çkM Lrjh; çf'k{k.k

इस कार्यक्रम के तीसरे चरण में विद्यालयवार फोकल शिक्षकों का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सितम्बर माह तक गोपालगंज जिले को छोड़कर सभी 37 जिलों में संपन्न हो चुका है। इस चरण में सभी विद्यालयों से एक–एक फोकल शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाना है।

अभी तक प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित हुए 26,813 प्रशिक्षित फोकल शिक्षकों की सूची शिक्षा विभाग से प्राप्त हो चुकी है।

3- ldy Lrjh; çf'k{k.k dk;Øe

इस कार्यक्रम के चौथे चरण में विद्यालयवार बाल प्रेरकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संकुल स्तर पर होना था। अक्टूबर माह तक 33 जिलों में संकुल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रारम्भ हो चूका है। 05 जिले जहाँ संकुल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं हुआ है वे हैं– औरंगाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सीतामढ़ी।
अभी तक 1,23,925 बाल प्रेरकों को प्रशिक्षित किये जाने की जानकारी शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राप्त हो चुका है।

4- fo|ky;k e lqjf{kr 'kfuokj dk fØ;kUo;u

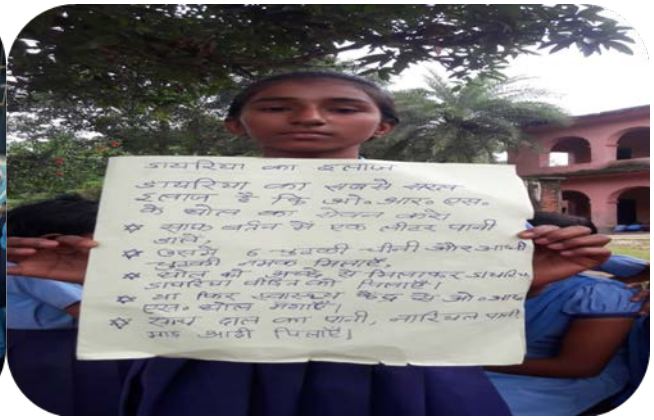

इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी के अनुसार प्रत्येक शनिवार को बाल प्रेरकों एवं फोकल शिक्षकों के माध्यम से विद्यालयों में आपदा सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम चलाना था। अभी तक 33 जिलों में विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो चूका है। शेष 05 जिले जहाँ विद्यालय स्तर पर यह कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं हो पाया है वे जिले हैं– औरंगाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा एवं सीतामढ़ी।

सुरक्षित शनिवार के क्रियान्वयन दस्तावेज में वर्णित वार्षिक सारणी के अनुसार अक्टूबर माह के प्रथम शनिवार को बिहार के विभिन्न विद्यालयों में ''दशहरा/छठ/मुहर्रम आदि पर्वों में भीड़ एवं भगदड़ संबंधी जोखिम एवं बचाव (प्राथमिक उपचार एवं सी0पी0आर0 सहित)'' के बारे में फोकल शिक्षकों एवं बाल प्रेरकों के द्वारा जानकारी दी गयी। अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को ''नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचाव के संदर्भ में जानकारी '' तीसरा शनिवार ''दीवाली के पटाखों एवं प्रदूषण से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी जोखिम एवं बचाव के संदर्भ में जानकाारी'' चौथे शनिवार को ''सडक दुर्घटना से बचाव के संदर्भ में जानकारी''।

5- dk;Øe d vuJo.k d fy, MkVk ,Vh

इस कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा एक डाटा फॉर्मेट भी विकसित किया गया है जिसे Google Drive के माध्यम से सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है। इसमें विस्तृत तौर पर विद्यालयवार फोकल शिक्षकों एवं अन्य गतिविधियों का डाटा इकठ्ठा किया जा रहा है।

इसी क्रम में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा दिनांक 20 अगस्त को एक स्मार पत्र भी सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजा गया है एवं विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए एक 5 पृष्ठों का फॉर्मेट भी भेजा गया है।

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति के गठन के लिए जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति का गठन प्रस्तावित है। समिति का गठन करने हेतु सभी जिलों को पत्र भेजा गया जिसकी प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं मुख्य सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दी गई है।

सुपौल, मधेपुरा एवं गया में जिला स्तरीय समिति गठित करने की सूचना प्राप्त हो चुकी है।

6- dk;Øe d vuJo.k grq iksVy dk fuekZ.k

चूँकि यह कार्यक्रम राज्य के सभी सरकारी एवं निजी प्राथमिक/मध्य विद्यालयों एवं मदरसों में नियमित रूप से संचालित किया जाना है, अतएव कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु यूनिसेफ के सहयोग से एक पोर्टल के निर्माण पर काम चल रहा है। इस पोर्टल पर फोकल शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किए गए नवाचार एवं गतिविधियों को भी साझा करने की सुविधा रहेगी ताकि फोकल शिक्षक एक दूसरे से सीख सकें।

7- lqjf{kr 'kfuokj 0gkV~l vi xzi

सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार विद्यालयों में आयोजित गतिविधियों को एक दूसरे से साझा करने एवं सीखने–सीखाने के लिए व्हाट्स अप (whatsapp) ग्रुप बनाया गया है। फोकल शिक्षक एवं मास्टर प्रशिक्षक इस माध्यम का भरपूर उपयोग कर रहे हैं।

8- iVuk ftyk d lHkh futh fo|ky;k] enjlk] lL—r f'k{kk ckM ,o vU; foHkkxk }kjk lpkfyr fo|ky;k d Qkdy f'k{kdk dk 2 fnolh; çf'k{k.k dk;Øe&

विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के अनुश्रवण से ज्ञात हुआ कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से सरकारी विद्यालयों में चल रहे हैं जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में सभी विद्यालयों में इस कार्यक्रम को संचालित करना है। इस आशय का आदेश शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों को भेजा गया है। निजी विद्यालयों एवं मदरसों आदि में फोकल शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया जा सका है।

फलतः प्राधिकरण स्तर से तत्काल पटना जिले के सभी निजी विद्यालयों, मदरसों, संस्कृत के विद्यालयों एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित विद्यालयों के एक–एक नामित फोकल शिक्षकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण (लगभग 850 विद्यालयों के फोकल शिक्षक) कुल 18 बैचों में कराने का निश्चय किया गया है। बाद में अन्य जिलों के लिए भी इसका विस्तार किया जाएगा।

दिनांक 26–27 सितम्बर में पटना के ए० एन० सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान गाँधी मैदान पटना में प्रारम्भ हुआ। प्रथम बैच में पटना के विभिन्न निजी विद्यालयों के 50 प्रतिभागी शामिल हुए। अक्टूबर माह में 6 बैचों में निजी विद्यालयों के 312 फोकल शिक्षक शामिल हुए जोकि निम्नवार हैं:–

cp	fnukd	ifrHkkfx;k dh l[;k
द्वितीय बैच	03–04 अक्टूबर	57
तृतीय बैच	05–06 अक्टूबर	38
चतुर्थ बैच	09–10 अक्टूबर	53
पंचम बैच	11–12 अक्टूबर	50
षष्ठ बैच	23–24 अक्टूबर	56
सप्तम बैच	25–26 अक्टूबर	58

(D) ukfodk ,oa uko ekfydk dk if'k{k.k

प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से चयनित 29 जिलों में जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तीय सहयोग से नाविकों एवं नाव मालिकों को सुरक्षित नौका चालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा विकसित हस्त पुस्तिका सभी नाविकों एवं नाव मालिकों को उपलब्ध करायी गयी है एवं करायी जा रही है एवं प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जा रहा है। जिलों से प्राप्त सूचनानुसार गत माह सितम्बर तक 23 जिलों के कुल 4843 नाविकों एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षित किया गया था।

इस प्रकार अब तक कुल 4843 नाविक/नाव मालिक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। अनुश्रवण के दौरान सूचना प्राप्त है कि निम्नांकित 05 जिलों में भी प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है, परन्तु प्रशिक्षितों की संख्या एवं विवरणी प्राप्त नहीं हो सकी है।

Øe l[;k	ftyk dk uke
1.	लखीसराय (एक बाढ़ प्रवण ब्लॉक को छोड़कर)
2.	गोपालगंज
3.	शेखपुरा
4.	शिवहर
5.	सीतामढ़ी

नालंदा जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर लेने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है।

(E) ukdkvksa ds fuca/ku gsrq fuca/kdksa@losZ{kdksa dk izf'k{k.k

नौकाओं के सर्वेक्षण एवं निबंधन हेतु विभिन्न जिलों में आदर्श नौका नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा अधिसूचित निबंधकों/सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत गत सितम्बर माह तक कुल 15 बैचों में 21 (अति बाढ़ प्रवण एवं बाढ़ प्रवण) जिलों के कुल 354 निबंधकों/सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण NINI, (गायघाट, पटना) में कराया जा चुका है। वर्तमान माह अक्टूबर 2018 की प्रगति निम्नवत हैः–

l= lq[;k	frfFk	izf'k{k.k esa 'kkfey ftys	LFkku	dqy izf'kf{kr izf'k{kq
1.	03.10.2018 से 05.10.2018	सीतामढ़ी/दरभंगा/ मुंगेर	NINI गाय घाट, पटना	24
2.	24.10.2018 से 26.10..2018	सीतामढ़ी/दरभंगा/ मुंगेर		20
		dqy		44

इस प्रकार सितंबर माह तक 22 जिलों के कुल 354+44=398 निबंधकों/सर्वेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(F) vkink tkf[ke U;uhdj.k ,o iclu/ku fo"k; ij ipk;r ifrfuf/k;ka dk if'k{k.k dk;Øe %&

ipk;r ifrfuf/k;ka dk i[kM Lrjh; if'k{k.k

1- jkT; Lrj ij if'kf{kr ekLVj Vuj }kjk ftyk esa i[kM Lrjh; if'k{k.k

पंचायती राज संस्थानों के जन प्रतिनिधियों के प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा जिलों को आवश्यक वितीय सहयोग दिया जा रहा है। अब तक निम्नांकित जिलों में प्रखंड स्तर पर जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किए जाने की सूचना प्राप्त है:–

1. मधुबनी 2. मधेपुरा 3. दरभंगा 4. पूर्वी चम्पारण 5. सुपौल 6. पटना 7. सारण 8. सहरसा 9. सीतामढ़ी, 10. शिवहर 11. किशनगंज 12. नालंदा 13. सिवान 14. समस्तीपुर 15. मुजफ्फरपुर 16. वैशाली 17. बांका 18. जहानाबाद 19. कटिहार 20. पश्चिमी चम्पारण 21. बक्सर 22. अररिया 23. औरंगाबाद 24. अरवल 25. नवादा 26. खगड़िया 27. शेखपुरा 28. कैमूर 29. भागलपुर।

उपर्युक्त जिलों से प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधियों के आँकड़े विहित प्रपत्र में प्राधिकरण को भेजने हेतु अनुरोध किया गया है एवं उन सभी जिलों से यह भी अनुरोध किया गया है कि प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधियों का डाटा बेस तैयार कर जिला के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय। अभी तक मात्र 6 जिलों, यथा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सारण, जहानाबाद एवं पूर्वी चम्पारण जिले से विहित प्रपत्र में प्रशिक्षण का ऑकड़ा प्राप्त हुआ है।

इन 6 जिलों से प्राप्त प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या निम्नवत् है:–

Ø0l0	ftyk dk uke	dqy cqpk dh l0	ftyk ifj"kn lnL; ¼iq[k.M {k= eq if'kf{krk dh l0½	iapk;r lfefr lnL; ¼iq[k.M {k= eq if'kf{krk dh l0½	eqf[k;k ¼iq[k.M {k= eq if'kf{krk dh l0½	ljiap ¼iq[k.M {k= eq if'kf{krk dh l0½	okMZ lnL; ¼iq[k.M {k= eq if'kf{krk dh l0½	iap ¼iq[k.M {k= eq if'kf{krk dh l0½	dqy if'kf{krk dh l0
1	मधुबनी	120	56	539	371	378	5149	5127	11620
2	मुजफ्फरपुर	33	25	288	263	207	1627	1291	3701
3	शिवहर	14	1	48	30	35	558	540	1212
4	सारण	92	6	294	273	239	3897	3139	7848
5	जहानाबाद	26	4	87	78	85	968	927	2149
6	पूर्वी चम्पारण	69	10	271	236	262	3234	2553	6566
	dqy	**354**	**102**	**1527**	**1251**	**1206**	**15433**	**13577**	**33096**

नोटः– उपरोक्त सूची के जिलों से अनुरोध किया गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों के वास्तविक संख्या के अनुसार यदि कोई पंचायत प्रतिनिधि कतिपय कारणों से प्रशिक्षित नहीं पायें हों, तो उनका एक अलग से बैच में प्रशिक्षित कर पूर्ण किया जाय।

सूचनानुसार बेगूसराय एवं पूर्णिया जिले में पंचायत प्रतिनिधियों का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ है। गया, भोजपुर, जमुई एवं मुंगेर जिले में नवम्बर माह में प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने की सूचना प्राप्त है।

(G). "Management of Animal in Emergencies" विषय पर बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पशु चिकित्सकों का चार दिवसीय प्रशिक्षण

पशु चिकित्सकों का प्रशिक्षण

बिहार एक बहु–आपदा प्रवण राज्य है, जहाँ सभी तरह की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं घटित होती है। यह राज्य जहाँ एक ओर लगभग हर वर्ष बाढ़ के प्रकोप को झेलता है वहीं दूसरी ओर सुखाड़, अग्निकांड, शीतलहर एवं लू इत्यादि आपदओं से भी इस राज्य का एक बड़ा भू–भाग प्रभावित रहता है। इन आपदाओं से मानव ही नही बल्कि पशु भी प्रभावित होते है और आपदाओं की स्थिति में मानव के साथ–साथ पशु संसाधन की भी बड़े पैमाने पर क्षति होती है। यद्यपि की आपदाओं को घटित होने से रोका तो नही जा सकता है, किन्तु इनसे होने वाली क्षति को कम करने के लिए पशु चिकित्सकों का कौशल विकास कर तथा आपदाओं के खतरों की पहचान कर पशुधन की सुरक्षा का समुचित प्रबंधन किया जा सकता है।

उपर्युक्त वस्तुस्थिति के मद्देनजर ''आपात स्थिति में पशु प्रबंधन'' (Management of Animals in Emergencies) विषय पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पशु चिकित्सकों के चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं बिहार भेटनरी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में तथा World Animal Protection (WAP) और Policy Perspectives Foundation (PPF) के सहयोग से दिनांक 04 जून, 2018 से आरम्भ किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि बहु–आपदाओं की स्थिति में आपदा के पहले, आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद में किस तरह से पशुओं की सुरक्षा एवं प्रबंधन किया जाय। अक्टूबर माह तक कुल 13 बैच का प्रशिक्षण निम्नानुसार आयोजित किया गया है:–

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

cp l[;k	fnukd	ifrHkkfx;k dh l[;k
1	4–7 जून, 2018	35
2	15–18 जून, 2018	35
3	20–23 जून, 2018	35
4	27–30 जून, 2018	35
5	11–14 जुलाई, 2018	35
6	16–19 जुलाई, 2018	35
7	23–26 जुलाई, 2018	35
8	28–31 जुलाई, 2018	35
9	17–20 सितम्बर, 2018	34
10	26–29 सितम्बर, 2018	35
11	3–4 अक्टूबर, 2018	34
12	7–10 अक्टूबर, 2018	30
13	11–14 अक्टूबर, 2018	35
d|y		448

(H) uko ekfydk] ukfodk ,o xkrk[kkjk dk mUe[khdj.k dk;'kkyk%&

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मुजफ्फरपुर द्वारा नाव मालिकों, नाविकों एवं गोताखोरों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन जिला परिषद् सभागार, मुजफ्फरपुर में दिनांक 08 सितंबर 2018 को किया गया। इस कार्यक्रम में जिला स्तरीय पदाधिकारियों, विभिन्न प्रखंडों के अचंल अधिकारियों, राजस्व कर्मचारियों, नाव मालिकों, नाविकों एवं गोताखोरों सहित लगभग 60 लोगों ने भाग लिया।

इस अवसर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सुरक्षित नौका परिचालन के सन्दर्भ में एक प्रस्तुतीकरण किया गया। नौका दुर्घटनाओं के कारणों, आदर्श नौका नियमावली 2011 के अनुसार नौकाओं का निबंधन एवं सर्वेक्षण की प्रक्रिया, नौका परिचालन के समय नौकाओं पर आवश्यक जीवन रक्षक उपकरणों को रखा जाना, यात्रियों एवं माल क्षमता का निर्धारण आदि के बारे में प्रतिभागियों का संवेदीकरण किया गया।

(I) fcgkj HkwdEiekih ra= dk izxfr fooj.k

1. भूकम्प दूरमापी तंत्र का केन्द्र पटना विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित करने के संबंध में पटना विश्वविद्यालय एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच एक Memorandum of Understanding हस्ताक्षरित किया जाना प्रस्तावित है। MoU के प्रारूप पर विश्वविद्यालय कुलपति के साथ चर्चा की जा रही है। 10 क्षेत्रिय वेधशालाओं में छः में निर्माण कार्य चल रहा है। अन्य चार में कार्य शुरू करने हेतु, बिहार भवन निर्माण निगम लि0, के साथ चर्चा की जा रही है। क्षेत्रीय वेधशालाओं एवं संग्रहण केन्द्र का निर्माण होने पर मशीनों का क्रय एवं अधिष्ठापन किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति आवश्यक मशीनों का निर्धारण कर दिया गया है।

2. अन्य चार वेधशालाओं में गुणवत्ता के सुधार हेतु Specification में संशोधन के संबंध में बिहार भवन निर्माण निगम लि0 से चर्चा के उपरान्त तीन और वेधशालाओं में कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए।

(J) Whatsapp Advisory

अक्टूबर माह में प्राधिकरण द्वारा ‘‘ufn;k rkykck e Mcu l cpu d mik;^^ एवं ‘‘ nhikoyh ljf{kr euk,^^ पर Mass Messaging किया गया जो निम्नांकित हैः– पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया, पंचों, वार्ड सदस्यों, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों, आशा कर्मचारियों, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, अभियंत्ता, प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित फोकल टीचर, फायर सर्विसेस आदि लोगों को Mass Messaging द्वारा जागरूक किया गया।

ufn;k&rkykck e Mcu l cpu d mik;%&

अपनी और अपने बच्चों की बचाएं जान।
नदियों–तालाबों में न धोएं बर्तन–कपड़े एवं न करें स्नान।
डूबते हुए की तरफ रस्सी, धोती, साड़ी या बांस फेंके।
डूबे हुए व्यक्ति को तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएं।
ऑक्सीजन न मिले तो मुंह से स्वांस दें।
पेट में भर गया हो पानी तो पेट के बल लिटाकर दवाब दें जिससे पानी निकल जाए, फिर जल्दी अस्पताल ले जाएँ।

nhikoyh ljf{kr euk,%

बच्चों पर विशेष ध्यान दें।
बच्चे बड़े की निगरानी में ही पटाखें जलाएं।
पानी से भरी बाल्टी अपने पास रखें।
किसी भी प्रकार की जलने की
दुर्घटना में तुरंत प्राथमिक उपचार दें,
तुरंत किसी नजदीकी अस्पताल में ले जाएं।
किसी बड़ी आग की स्थिति में
अग्निशाम सेवा को 101 नंबर
पर संपर्क करे।